

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in, website:www.bsmfc.org)

नि०/रोजगार ऋण-03-75/2022 संख्या:-----

पटना, दिनांक:-----

स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-27.06.2022 से 29.06.2022 तक चयनित आवेदकों में से वृहद ऋण क्र०स० 01 से 02 तक आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जहानाबाद द्वारा दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निस्पादित कराकर प्रत्रांक-02 / मुख्य दिनांक-17.07.2023 के माध्यम से कुल 02 आवेदकों का दस्तावेजीकरण के कागजात निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद की अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से स्टाम्प शुल्क एवं 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र०स०	आई० डी० न०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing	Imboss Charge	Net Payable Amount
1.	12	18	KHUSHI PRVEEN, S/o- MD AHMAD ANSARI, Vill.-MOHANPUR, Block-JEHANABAD, PS-PARASBIGHA, PO-AMOUR, Distt.-JAHANABAD-804425, Mob:- 9572122783	A/c No.:- 593602010007852, UBIN0559369	COACHING INSTITUTE	219000	1095	2030	215875
2.	13	22	NIKHAT PARVEEN, D/o- MD AHMAD ANSARI, Vill.-MOHANPUR, Block-JEHANABAD, PS-PARASBIGHA, PO-AMOUR, Distt.-JAHANABAD-804425, Mob:- 9572122783	A/c No.:- 593602010008390, UBIN0559369	COACHING INSTITUTE	219000	1095	2030	215875
TOTAL						438000	2190	4060	431750

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षण में किसी कर्मी से कराते हुये आकड़ा संधारित करेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति निगम मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 10-10-2023

ज्ञापक:- नि०.रो०.ऋण.-3-75/2022.....²²³⁷

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आपके द्वारा जाँचोपरान्त प्राप्त 02 दस्तावेज/अभिलेख को ऋण की स्वीकृति दी गई है। भविष्य में दस्तावेज / अभिलेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जम्मेदारी आपकी होगी। सभी ऋणधारक / ऋण शाखा/ ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल) / लेखा शाखा/ प्रमण्डलीय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित ।

सहायक निदेशक